न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

जमना पुत्री धनाजी मेघवाल, जाति-मेघवाल, निवासी-रोहुआ, तहसील-रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. प्रागाराम पुत्र श्री डुंगराराम, जाति-कलबी, निवासी-रोहुआ, तह. रेवदर, जिला-सिरोही
3. पोसुदेवी पत्नि श्री प्रागाराम, जाति- कलबी, निवासी-रोहुआ, तह.रेवदर, जिला-सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 03/2014

''प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 18 जनवरी, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रेवदर के आदेश क्रमांकःराजस्व/प्रशासन गांवों के संग/10/1772-74 दिनांक 19.11.2010 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को ग्राम रोहुआ के खसरा संख्या 793 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार, रेवदर या नायब तहसीलदार, मण्डार को कमिश्नर नियुक्ति किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.12.2016 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2017 के अनुसार विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौके की रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/806 दिनांक 07.9.2018 के संलग्न मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 793 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा किस्म धोरा भूमि आई हुई जिस पर प्रार्थी का पुराना कब्जा काश्त है। प्रार्थीया अपने पिता के समय उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रही है, प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी भी व्यक्ति ने कभी भी रुकावट नही की। मौके पर आज भी प्रार्थी काबिज काश्त है। यह कि विवादित भूमि का आवंटन होने से पूर्व में ही प्रार्थी ने विवादित भूमि पर ट्यूबवेल खुदवाया था। साथ ही, आवासीय कमरे का भी मौके पर निर्माण करवाया, जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रही है। यह कि विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी के विरुद्ध तहसीलदार, रेवदर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते संवत 2059 अर्थात् वर्ष 2003 में नोटिस जारी किया था व प्रार्थी ने उक्त कार्यवाही में जुर्माना भी जमा करवाया था। यह कि उक्त भूमि आवंटन के समय मौके पर आवंटन हेतु खाली व निर्विवादित नही थी, उसके बावजूद भी उक्त तथ्य को छुपाते हुए अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 ने राजस्व कार्मिकों से मेल मिलाप कर खसरा संख्या 793 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा भूमि का आवंटन करवाया है, जो कानूनन गलत है। उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा उक्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 से 13 की पालना नही की है। यह कि खसरा संख्या 793 बडा चक है तथा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को किस स्थान पर भूमि आवंटन की गई है, यह दर्शित नही किया है तथा न ही अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को आवंटन आदेश की पालना में मौके पर कब्जा सुपर्द किया गया है तथा न ही मौके पर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 का कब्जा है। यह कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 भूमिहीन नही होने से भूमि आवंटन कराने की पात्रता नही रखते है, इसलिये अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को खसरा संख्या 793 रकबा 10 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त RRT 2009(1) Page 453-456, RRT 2008(2) Page 835, RRT 2014(2) Page 1150-1154 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कभी भी पुराना कब्जा-काश्त नही रहा है, बल्कि विवादित भूमि पर प्रार्थी ने संवत 2059 में अतिक्रमण किया था, जिसे तहसीलदार, रेवदर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को मौके से बेदखल कर दिया था। यह कि प्रशासन गांवों के संग अभियान-2010 के दौरान उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा ग्राम रोहुआ में आवंटन हेतु उपलब्ध राजकीय भूमि की राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए उद्घोषणा क्रमांक 168 दिनांक 01.11.2010 के द्वारा जारी की जाकर पंचायत समिति, तहसील कार्यालय, उप तहसील कार्यालय, पटवार भवन व ग्राम पंचायत रोहुआ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। यह कि प्रशासन गांव के संग अभियान- 2010 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि के उद्घोषणा जारी करने की अवधि 15 दिन के स्थान पर 7 दिन की गई थी। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा दिनांक 08.11.2010 को भूमि आवंटन नियमन सलाहकार समिति के सदस्यों

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को ग्राम पंचायत मुख्यालय, रोहुआ में दिनांक 19.11.2010 को बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया। जिस पर भूमि आवंटन व नियमन सलाहकार समिति की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय, रोहुआ पर दिनांक 19.11.2010 को आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्यों का कोरम पूर्ण था। यह कि ग्राम पंचायत मुख्यालय, रोहुआ में आयोजित शिविर दिनांक 19.11.2010 में अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 ने ग्राम रोहुआ के खसरा संख्या 793 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, रेवदर (शिविर प्रभारी अधिकारी) को आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर हल्का पटवारी, रोहुआ व भू अभिलेख निरीक्षक, मण्डार से अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की पात्रता की जांच करवाई जाकर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के आवेदन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियमन समिति के कोरम द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को ग्राम रोहुआ के खसरा संख्या 793 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा भूमि का आवंटन करने की अनुशंषा की गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, रेवदर के आदेश दिनांक 19.11.2010 से ग्राम रोहुआ के खसरा संख्या 793 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा भूमि का अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत मुख्यालय, रोहुआ में दिनांक 19.11.2010 को आयोजित शिविर में उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा भूमि आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के अलावा 51 अन्य आवंटियों को भी ग्राम रोहुआ में भूमि का आवंटन किया गयाय है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण रुप से पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को भूमि का आवंटन किया गया है। यह कि प्रार्थी अतिक्रमी है तथा अतिक्रमी को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। वक्त आवंटन विवादित भूमि मौके पर खाली होकर निर्विवादित थी तथा उस पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही होने पर ही अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को भूमि का आवंटन किया जाकर मौके पर भूमि का कब्जा सुपर्द किया गया। यह कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 का आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त होने से खातेदारी अधिकारी भी प्रदान किये जा चुके है। यह कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारी अधिकारों को निरस्त नही किया जा सकता है। यह कि प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 का 7 बीघा भूमि पर कब्जा होना व मौके पर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 का ट्यूबवेल व कमरा बना हुआ होना बताया है। अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 भूमिहीन नही हो तथा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 ने कपट या दुर्व्यपदेशन से भूमि का आवंटन करवाया हो। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पांया गया कि ''प्रशासन गांवों के संग अभियान-2010'' के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालय, रोहुआ में दिनांक 19.11.2010 को आयोजित शिविर में भूमि आवंटन नियमन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी, रेवदर (शिविर प्रभारी

....पेज चार पर

अधिकारी) के आदेश क्रमांक/राजस्व/प्रशासन गांवों के संग/10/1772-74 दिनांक 19.11.2010 के द्वारा अप्रार्थी प्रागाराम पुत्र श्री डूंगराराम, जाति- कलबी व श्रीमती पोसुदेवी पत्नि श्री प्रागाराम, जाति- कलबी, निवासी- रोहुआ को ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के खसरा संख्या 793 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी, रोहुआ द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को आवंटित भूमि का दिनांक 19.11.2010 को कब्जा सुपर्द किया जाकर राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के नाम से गैर खातेदार दर्ज की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाकर नामान्तरकरण संख्या 1707 दिनांक 20.2.2014 के द्वारा खसरा संख्या 793/1007 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के नाम से खातेदार दर्ज की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को भूमि आवंटन करने से पूर्व पात्रता की जांच हल्का पटवारी, रोहुआ व भू अभिलेख निरीक्षक, मण्डार से करवाई गई है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मुख्यत: इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का अपने पिता के समय से पुराना कब्जा-काश्त है, लेकिन प्रार्थी पक्ष ने उक्त कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि आवंटन के समय भूमि मौके पर खाली न हो। प्रकरण में इस न्यायालय को तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/806 दिनांक 07.9.2018 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 07.9.2018 में यह अंकित किया हुआ है कि मौके पर खसरा संख्या 793/1007 रकबा 10 बीघा किस्म धोरा अप्रार्थी को आवंटित भूमि में वर्तमान में अप्रार्थी का 10 बीघा की बजाय 7 बीघा भूमि पर कब्जा है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर आवंटन से पूर्व कब्जा रहा है तो वह बतौर अतिक्रमी रहा होगा। विधिक दृष्टान्त RRT 2009(1) Page 453-456 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी भूमि पर अतिचार अथवा अतिक्रमण होना आवंटन निरस्ती हेतु आधार नही हो सकता है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत भूमि के आवंटन में कोई अनियमितता रही हो या आवंटि ने प्रश्नगत भूमि का आवंटन कपट द्वारा या दुर्व्यपदेशन से करवाया हो। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्राथी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही